नम्बर व तारी[illegible]
अहकाम जो[illegible]
हुक्म की ताम[illegible]
में जारी हु[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – **21 / 2021** दिनांकः– **19.04.2021**

अनवान

नारायण लाल पिता नाथूलाल जी जाति, रेगर, उम्र वयस्क, निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज.

—————प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज)

———विपक्षी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः–

1. यह ग्राम रेवलिया खुर्द पटवार हल्का रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर की जमाबंदी संवत 2076 में अंकित खाता संख्या 492 पर दर्ज आराज नम्बर 1800 रकबा 0.8300 हैक्टर प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2076 एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है।
2. यह कि प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात पर कदीम से विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 1801 रकबा 0.9400 हैक्टर में से होकर जाता है तथा इसी रास्ते से अपने मवेशी, बेलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि लाता ले जाता रहा है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
3. यह कि उक्त आराजी नम्बर 1801 रकबा 0.9400 हैक्टर कृशि भूमि बिलानाम होने से कतिपय लोग आये दिन उस पर [illegible] रास्ता अवरूद्ध करने का प्रयास करते रहते है इस [illegible] आराजीयात पर पहुंचने हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 1801 [illegible] से लगभग 30 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करा राजस्व रेकार्ड में रास्ता क[illegible] कराये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। उक्त रास्ते को रेकार्ड में दर्ज करने से मुझ प्रार्थी के अलावा भी अन्य ग्रामवासियों की आगे जो आराजीयात स्थित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:41:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला-चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

उन लोगों को आने जाने में भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में उक्त मुझ प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंचने हेतु पुर्व में जो रास्ता आराजी नम्बर 1527 में दर्ज रेकार्ड है उक्त आ.नं. 1527 रास्ता से लगा कर मुझ प्रार्थी की आराजी नम्बर 180 तक बिलानाम 1801 रकबा 0.9400 हैक्टर में से 30 फीट चौड़ाई वाली भूमि को रेकार्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी रास्ते की भूमि की कीमत डीएलसी दर से अदा करने को तैयार है।

4. यह कि बिनाय दावा कतिपय लोगों द्वारा दिनांक 07.02.2021 को प्रार्थी को रास्ते से गुजरने पर व्यवधान पैदा करने से पैदा होकर हर दिन जारी है।

5. यह कि प्रार्थी नियमानुसार रास्ता दिया जाने हेतु एवं रेवेन्यु रेकार्ड में रास्ता दर्ज कराये जाने हेतु निर्धारित राशि विपक्षी को अदा करने को तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम रेवलिया खुर्द पटवार हल्का रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर की जमाबंदी संवत 2076 में अंकित खाता संख्या 492 पर दर्ज आराजी नं. 1800 रकबा 0.8300 हैक्टर पर आने जाने हेतु पूर्व में जो रास्ता आराजी नम्बर 1527 में दर्ज रेकार्ड है उक्त आ.नं. 1527 रास्ता से लगा कर मुझ प्रार्थी की आराजी नम्बर 1800 तक बिलानाम 1801 रकबा 0.9400 हैक्टर में से 30 फीट चौड़ाई वाली भूमि को रेकार्ड में रास्ता दर्ज बिलानाम आराजी नम्बर 1801 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने एवं रेवेन्यु रेकार्ड में रीास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को तलब किया गया बरोज पेशीविपक्षी संख्या 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

बहस सुनी गई। लायक अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कोई रिर्कोडेड मार्ग नहीं है तथा पास में सटमा सरकारी बिलानाम आराजीयात स्थित है। उक्त आराजीयात में से कदीम से आ जा रहें है इसके अतिरिक्त [illegible] विकल्प नहीं है । अतः प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी [illegible] रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें। क्योंकि सरकारी बिलानाम आराजीयात में कदमी रास्ता होने के कारण बिलानाम आराजीयात पर गांव के लोगो द्वारा बार बार कब्जा कर रास्ते को बंद कर देते है जिस कारण प्रार्थी एवं अन्य आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:41:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

के खातेदारो को आने–जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिये बिलानाम आराजी नं0 1801 में से 30 फीट चौडाई में आराजी नं0 1527 रास्ते से लगाकर प्रार्थी की आराजी नं0 1800 तक रास्ता दर्ज की दिया जावेगा जो सार्वजनिक उपयोग में रहेगा जिससे अवैध कब्जा करने वाले लोग कब्जा नहीं करेगें और रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधाएं पैदा नहीं होगी। उक्त दिया जाने वाला रास्ता रास्ते के रूप में सरकारी दर्ज रहेगा जिस पर हम किसी का मालिकाना हक कब्जा नहीं रहेगा। उक्त रास्ता सार्वजनिक हित का होकर सभी के लिये उपयोगी रहेगा। इसलिये बिलानाम आराजी नं0 1801 में 30 फीट चौडाई में आराजी नं0 1527 रास्ते से लगाकर प्रार्थी की आराजी नं0 1800 तक रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 1800 पर पहुंच मार्ग हेतु रिकॉडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु मार्ग का अभाव होने से आराजी नम्बर 1801 की पूर्वी सीमा पर होकर जाने का विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते है। और उक्त रास्ते की दाद वाली आराजी नं0 1801 बिलानाम सरकारी है जो सार्वजनिक उपयोग में आ रही है और उसमें से यदि 30 फीट की चौडाई का रास्ता दर्ज किया जाता है तो सभी के लिये उपयोगी रहेगा और रास्ता भी सरकारी खाते में ही दर्ज रहेगा। ऐसी स्थिति में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1. ग्राम रेवलिया खुर्द पटवार हल्का रेवलिया खुर्द की आराजी नं 1800 रकबा 0.8300 हैक्टैयर भूमि पर रेकोर्डेड मार्ग नहीं होकर पहुंच मार्ग [illegible] वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पडोस [illegible] आराजी 1801 में 30फीट चोडाई में आराजी नं0 1527 रास्ता से लगाकर [illegible] आराजी नं0 1800 तक रेकार्ड में रास्ता दर्ज कर सार्वजनिक रास्ता के रूप में द[illegible] किये जाने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:41:34 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

2. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थी का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थी को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:41:34 IST
Reason: SelfAttested